फा०सं० 7(20)/2008–संस्था–III(क)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सीमित परिवार मानकों को अपनाने के लिए परिवार नियोजन भत्ते की दरों में संशोधन।

छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 01 जनवरी, 2006 से सरकार द्वारा संशोधित वेतन ढांचे के कार्यान्वयन और इस मंत्रालय के दिनांक 06 जुलाई, 1999 के का० ज्ञा० सं० 6(39)/98-आई०सी० II में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रपति, परिवार नियोजन के मौजूदा भत्ते को दुगना करते हुए संशोधित परिवार नियोजन भत्ते की स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि यह कम से कम 210 रुपए प्रतिमाह हो, जैसा कि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध के कॉलम 7 में दर्शाया गया है।

2–परिवार नियोजन भत्ता उस पद के ग्रेड वेतन से संबद्ध होगा जिसे संबंधित कर्मचारी ने प्रारम्भ में अर्जित किया था अथवा अर्जित करेगा। परिवार नियोजन भत्ता प्रदान करने की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3–ये आदेश 01 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।

4–जहां तक भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

मधुलिका पी० सुकुल,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

दिनांक 24 सितम्बर, 2008 के का० ज्ञा० सं० 7(20)/2008–संस्था–III (क) का अनुबन्ध

ग्रुप "क", "ख", "ग" तथा "घ" में मौजूदा वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संदर्भ के साथ परिवार नियोजन भत्ता (एफ०पी०ए०) की संशोधित दरें ।

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन संरचना			परिवार
क्र० सं०	पद/ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	नियोजन भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	एस–1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300	
2	एस–2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400	
3	एस–2क	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600	210
4	एस–3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650	
5	एस–4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800	
6	एस–5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900	
7	एस–6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000	
8	एस–7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400	
9	एस–8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800	250
10	एस–9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200	
11	एस–10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200	400
12	एस–11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200	
13	एस–12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200	
14	एस–13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600	450
15	एस–14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800	500
16	एस–15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400	
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	550
18	एस–16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	
19	एस–17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
20	एस–18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600	
21	एस–19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600	650
22	एस–20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600	
23	एस–21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	
24	एस–22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	750
25	एस–23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600	
26	एस–24	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700	
27	एस–25	15100-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700	800
28	एस–26	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900	900
29	एस–27	16400-450-20900	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900	
30	एस–28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000	1000
31	एस–29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000	

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 30 सा० वित्त–23–7–2010 (660)–3002 प्रतियां (क० / टी० / आ०)।